रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225647
CG-DL-E-04032021-225647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 962] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942
No. 962] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

का.आ. 1050(अ).—केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजपत्र में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 542(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2005 तथा राजपत्र में प्रकाशित तत्कालीन प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 12(अ), तारीख 5 जनवरी, 2007 तथा का.आ. 36(अ), तारीख 5 जनवरी, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित अधिकारों को विनिर्दिष्ट करती है जिनका कोई भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से हकदार होगा, अर्थात् :-

(1) किसी प्रयोजन के लिए भारत आने हेतु जीवन पर्यन्त बहु प्रवेश वीजा अनुदत्त करना:

परंतु निम्नलिखित क्रियाकलाप करने के लिए, भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी या विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या संबंधित भारतीय मिशन से, यथास्थिति, विशेष अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा, अर्थात्:-

(i) अनुसंधान करने के लिए;

(ii) किन्हीं मिशनरी या तबलीग़ या पर्वतारोहण या पत्रकारिता संबंधी क्रियाकलापों के लिए;

(iii) भारत में किन्हीं विदेशी राजनयिक मिशनों या विदेशी सरकारी संगठनों में इंटर्नशिप करने के लिए या भारत में किन्हीं विदेशी राजनयिक मिशनों में रोजगार के लिए;

(iv) किसी ऐसे स्थान पर भ्रमण के लिए, जो केंद्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित संरक्षित या निर्बंधित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र है;

(2) भारत में किसी भी अवधि के ठहराव के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण से छूट:

परंतु भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक, जो सामान्यतः भारत में निवासी हैं, अधिकारिता वाले विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ई-मेल द्वारा सूचित करेंगे, जब कभी उनके स्थायी निवास के पते या उनके व्यवसाय में कोई परिवर्तन होता है;

(3) निम्नलिखित के विषय में भारत के राष्ट्रिकों से समानता,-

(i) भारत में घरेलू क्षेत्रों में वायुयान भाड़े के टैरिफ; और

(ii) भारत में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय देखने हेतु वसूल की जाने वाली प्रवेश फीस;

(4) निम्नलिखित के विषय में अनिवासी भारतीयों से समानता,-

(i) ऐसे दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन रहते हुए, भारतीय बालकों का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण;

(ii) उन्हें केवल किसी अनिवासी भारतीय सीट या किसी अधिसंख्य सीट पर प्रवेश के लिए पात्र बनाने हेतु अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं, जैसे राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) या ऐसी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना:

परंतु भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक विशिष्टतया भारत के नागरिकों के लिए आरक्षित किसी सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा;

(iii) कृषि भूमि या फार्म हाउस या बागान संपत्ति से भिन्न अचल संपत्ति का क्रय या विक्रय; और

(iv) यथास्थिति, लागू सुसंगत परिनियमों या अधिनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित वृत्तियां करना, अर्थात्:-

(क) चिकित्सक, दंत चिकित्सक, परिचायिका और भेषजज्ञ;

(ख) अधिवक्ता;

(ग) वास्तुविद्;

(घ) चार्टर्ड अकाउन्टेंट;

(5) अन्य सभी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों के संबंध में, जिन्हें इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत नहीं आने वाले अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जो किसी विदेशी व्यक्ति के हैं।

स्पष्टीकरण,- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(1) भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक (जिसके अंतर्गत भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड धारक भी है) अन्य देश का पासपोर्ट धारण करने वाला विदेशी राष्ट्रिक है और भारत का नागरिक नहीं है।

(2) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो इसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 1999 का 42) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियम, 2018 में उसका है तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार "अनिवासी भारतीय" की प्रास्थिति को पूर्ण करता है।

[फा. सं. 26011/सीसी/05/2018-ओसीआई]

प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2021

S.O. 1050(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Official Gazette *vide* number S.O. 542(E), dated the 11th April, 2005 and the notifications of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Overseas Indian Affairs published in the Official Gazette *vide* numbers S.O. 12(E), dated the 5th January, 2007 and S.O. 36(E), dated the 5th January, 2009, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the following rights to which an Overseas Citizen of India Cardholder (hereinafter referred to as the OCI cardholder) shall be entitled, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

(1) grant of multiple entry lifelong visa for visiting India for any purpose:

Provided that for undertaking the following activities, the OCI cardholder shall be required to obtain a special permission or a Special Permit, as the case may be, from the competent authority or the Foreigners Regional Registration Officer or the Indian Mission concerned, namely:-

(i) to undertake research;

(ii) to undertake any Missionary or Tabligh or Mountaineering or Journalistic activities;

(iii) to undertake internship in any foreign Diplomatic Missions or foreign Government organisations in India or to take up employment in any foreign Diplomatic Missions in India;

(iv) to visit any place which falls within the Protected or Restricted or prohibited areas as notified by the Central Government or competent authority;

(2) exemption from registration with the Foreigners Regional Registration Officer or Foreigners Registration Officer for any length of stay in India:

Provided that the OCI cardholders who are normally resident in India shall intimate the jurisdictional Foreigners Regional Registration Officer or the Foreigners Registration Officer by email whenever there is a change in permanent residential address and in their occupation;

(3) parity with Indian nationals in the matter of,-

(i) tariffs in air fares in domestic sectors in India; and

(ii) entry fees to be charged for visiting national parks, wildlife sanctuaries, the national monuments, historical sites and museums in India;

(4) parity with Non-Resident Indians in the matter of,-

(i) inter-country adoption of Indian children subject to the compliance of the procedure as laid down by the competent authority for such adoption;

(ii) appearing for the all India entrance tests such as National Eligibility cum Entrance Test, Joint Entrance Examination (Mains), Joint Entrance Examination (Advanced) or such other tests to make them eligible for admission only against any Non-Resident Indian seat or any supernumerary seat:

Provided that the OCI cardholder shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens;

(iii) purchase or sale of immovable properties other than agricultural land or farm house or plantation property; and

(iv) pursuing the following professions in India as per the provisions contained in the applicable relevant statutes or Acts as the case may be, namely:-

(a) doctors, dentists, nurses and pharmacists;

(b) advocates;

(c) architects;

(d) chartered accountants;

(5) in respect of all other economic, financial and educational fields not specified in this notification or the rights and privileges not covered by the notifications made by the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the OCI cardholder shall have the same rights and privileges as a foreigner.

***Explanation.*— For the purposes of this notification,—**

(1) The OCI Cardholder (including a PIO cardholder) is a foreign national holding passport of a foreign country and is not a citizen of India.

(2) "Non-Resident Indian" shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2018 made by the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and who fulfils the "Non-Resident Indian" status as per the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 26011/CC/05/2018-OCI]

PRAMOD KUMAR, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.04 22:36:55 +05'30'